

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज०)
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
184/प्रा.पत्र/2017	13.04.2017	23.09.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

— प्रार्थी

बनाम

जंसी लाल, आ. रामनारायण, बरधी बाई, विमला बाई पुत्रिया रामनारायण,
बादाम बाई पत्नी रामनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भवानीपुरा,
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 10.02.1983
निरस्त करने बाबत।

उपरिस्थित :-

प्रार्थी की ओर से — परोकार सरकार।

अप्रार्थीगण की ओर से — श्री रामकैलाश नागर, अभि।

—: निर्णय :-

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीयान के पिता रामनारायण आ.
छीतर जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये
भूमि आवंटन खसरा नं. 457 रकबा 05 बीघा को निरस्त करवाने हेतु
प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व
अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों
को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण
आ. छीतर को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 457 रकबा 05 बीघा भूमि
का कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 10.02.1983 को आवंटन किया गया था।
आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है अन्य व्यक्तियों का
कब्जा काशत है। आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन
निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान मौखिक तर्क प्रस्तुत
किये कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत है। पूर्व में उनके
पिता का कब्जा काशत था। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को स्वतः

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आवंटन वर्ष 1983 को किया गया है जिसको लगभग 36 वर्ष हो चुके हैं। 36 वर्ष बाद यह कार्यवाही पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। इतने वर्ष बाद आवंटी की भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो तो वह कब्जा वैधानिक नहीं है। खसरा गिरदावरी के अनुसार आवंटी व आवंटी के वारिसान का ही कब्जा काश्त है अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी द्वारा झूठी व मिथ्या रिपोर्ट पेश की गई है। रेकार्ड के अनुसार अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी रामनारायण की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम नामा हो चुका है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन, सारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण आ. छीतर को ग्राम भवानीपुरा में खसरा नं. 457 रकबा 05 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 10.02.1983 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी को तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी दी गई है जो आवंटी को कब्जा देने के पश्चात ही दी जाती है। आवंटन वर्ष 1983 का है। जिसको करीब 36 वर्ष हो चुके हैं। आवंटी स्वतः ही 10 वर्ष पश्चात खातेदार कृषक घोषित हो जाता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने बाबत कोई राजस्व रेकार्ड या अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। जिससे अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त साबित होता हो। आवंटी की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम नामा दर्ज किया गया है। अन्य व्यक्ति जिनका कब्जा काश्त होना प्रार्थी ने अंकित किया गया है उनको पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवंटन दिनांक 10.02.1983 को करीब 36 वर्ष बाद 14(4) की कार्यवाही पेश किया जाना संदेह से परे नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता रामनारायण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सम्पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया गया है। तहसीलदार, द्वारा आवंटी को गैरखातेदारी दर्ज किया गया है। जिसमें कोई विधिक दोष प्रमाणित नहीं होता है, यदि आवंटन भूमि पर अन्य का कोई कब्जा काश्त है तो उसकी हैसियत मात्र आवंटी की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण की है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 10.02.1983 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बूंदी (राज०)